

प्रेषक,

आयुक्त  
ग्राम्य विकास  
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

मुख्य विकास अधिकारी  
बहराइच, गोरखपुर, बलिया, खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर,  
कुशीनगर, मोण्डा, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट,  
मिर्जापुर, सोनभद्र एवं वन्दौली।

पत्रांक: जीओ 218/सम्पेक्षा/महामाया आ0यो0/07 08 दिनांक 12 मार्च 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक के अनुदान सं0 83 में अनुसूचित जाति  
आवास योजना (महामाया आवास योजना) की व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय  
स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश  
संख्या-504/26 व0प्र0 2007 134/2006, दिनांक 20 12 2007 का अवलोकन करने  
का कष्ट करे जिसके द्वारा अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के  
अन्तर्गत बालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्राविधानित धनराशि रू0 200,00,00,000/-  
(रूपये दो अरब मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निर्वहन पर रखने की स्वीकृति  
प्रदान की गयी है। शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि में से 150,00,00,000/- (रूपये  
एक अरब पचास करोड़ मात्र) इस कार्यालय के पत्र संख्या जीओ-197/सम्पेक्षा/  
महामाया आ0यो0/2007 08, दिनांक 4 जनवरी 2008 द्वारा अवमुक्त किया जा चुका है।  
शेष धनराशि रू0 50,00,00,000/- (रू0 पचास करोड़ मात्र) शासनादेश सं0 161/26-  
व0प्र0 2008 500(15)/2007 दिनांक 11 03 2008 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये  
निर्देशानुसार संलग्नक में अंकित विवरण के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तों एवं  
प्रतिबन्ध के अधीन आवंटित की जा रही है।

1- जनपदों द्वारा धनराशि का व्यय महामाया आवास योजना हेतु निर्गत शासनादेश  
संख्या-1785/38 8 07 134/06, दिनांक 10 09 2007 तथा शासन द्वारा समय समय  
पर निर्गत निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों की सीमा तक  
ही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि आहरित धनराशि का उपयोग समय  
से कर लिया जाय।

2- धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। धनराशि के  
आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक  
जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है फिर भी यदि कोई गैप  
है तो उसे नियमानुसार पूरा करा लिया जाय। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि  
अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

4- धनराशि के उपयोग के पश्चात् उसका उपयोग प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में  
उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासनादेश दिनांक 9 4 2007 तथा 8 5 2007 में दिये  
गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि  
के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण/सत्यापन हेतु  
समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।  
ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुरितका तथा बजट गैनुअल के नियमों के अन्तर्गत  
शासन या अन्य राक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो तो वह व्यय वांछित  
स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।



6- घनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय बालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम आयोजनागत 800 अन्य व्यय 03 अनुसूचित जाति आवास योजना 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता" के नामे डाला जायेगा।

8- आवंटित घनराशि के आहरण की सूचना, बाउवर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9- केन्द्रीय रजिस्टर(आयोजनागत) के पृष्ठ 125 पर उक्त बजट आवंटन अंकित कर दिया गया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

गवदीय,  
Manaf 2.3.08  
(मनोज कुमार सिंह)  
आयुक्त  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक: जीओ 218/सम्पेक्षा/ महागाया आ०यो०/०7 08 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०शासन।
- 3- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग 3/नियोजन अनुभाग 4/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/8
- 7- संयुक्त सचिव, उ०प्र०शासन बजट प्रकोष्ठ/समाज कल्याण को उनके पत्र संख्या 161(1)/26 ४०प्र० 2008 500(15)/2007, दिनांक 11 3 2008 के कम में।

(अक्षय कुमार)  
अपर आयुक्त(लेखा)  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०

का संलग्नक वर्ष 2007-08 के लिए अनुसूचित जाति आवास योजना

(महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

(रूपये लाख में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम     | अवमुक्त की जा रही धनराशि | प्रगामी योग |
|----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 1        | 2               | 3                        | 4           |
| 1        | मेरठ            | 0.00                     | 9.72        |
| 2        | गाजियाबाद       | 0.00                     | 0.00        |
| 3        | बुलन्दशहर       | 0.00                     | 30.17       |
| 4        | गौतमबुद्धनगर    | 0.00                     | 44.97       |
| 5        | बागपत           | 0.00                     | 0.00        |
| 6        | सहारनपुर        | 0.00                     | 67.87       |
| 7        | मुजफ्फरनगर      | 0.00                     | 7.12        |
| 8        | मुरादाबाद       | 0.00                     | 3.35        |
| 9        | बिजनौर          | 0.00                     | 90.57       |
| 10       | रामपुर          | 0.00                     | 31.50       |
| 11       | ज्योतिबाफूलेनगर | 0.00                     | 43.70       |
| 12       | बरेली           | 0.00                     | 107.62      |
| 13       | बदायूं          | 0.00                     | 179.80      |
| 14       | शाहजहांपुर      | 0.00                     | 244.12      |
| 15       | पीलीभीत         | 0.00                     | 96.75       |
| 16       | आगरा            | 0.00                     | 83.97       |
| 17       | अलीगढ़          | 0.00                     | 54.75       |
| 18       | मैनपुरी         | 0.00                     | 51.02       |
| 19       | एटा             | 0.00                     | 12.72       |
| 20       | मथुरा           | 0.00                     | 25.50       |
| 21       | फिरोजाबाद       | 0.00                     | 70.70       |
| 22       | हाथरस           | 0.00                     | 14.42       |
| 23       | झांसी           | 300.00                   | 375.90      |
| 24       | जालौन           | 300.00                   | 446.82      |
| 25       | ललितपुर         | 350.00                   | 436.60      |
| 26       | बांदा           | 500.00                   | 735.59      |
| 27       | हमीरपुर         | 300.00                   | 374.02      |
| 28       | महोबा           | 350.00                   | 444.05      |
| 29       | चित्रकूट        | 750.00                   | 848.51      |
| 30       | इलाहाबाद        | 0.00                     | 324.57      |
| 31       | फतेहपुर         | 0.00                     | 381.35      |
| 32       | प्रतापगढ़       | 0.00                     | 286.50      |
| 33       | कौशाम्बी        | 0.00                     | 238.50      |
| 34       | कानपुरनगर       | 0.00                     | 169.70      |
| 35       | कानपुरदेहात     | 0.00                     | 361.30      |
| 36       | इटवा            | 0.00                     | 94.12       |
| 37       | फर्रुखाबाद      | 0.00                     | 73.10       |

| क0 सं0 | जनपद का नाम  | अवमुक्त की जा रही धनराशि | प्रगामी योग |
|--------|--------------|--------------------------|-------------|
| 1      | 2            | 3                        | 4           |
| 38     | कन्नौज       | 0.00                     | 106.67      |
| 39     | औरैया        | 0.00                     | 141.55      |
| 40     | वाराणसी      | 0.00                     | 83.25       |
| 41     | गाजीपुर      | 0.00                     | 386.22      |
| 42     | जौनपुर       | 0.00                     | 391.32      |
| 43     | बन्दौली      | 200.00                   | 414.87      |
| 44     | मिर्जापुर    | 200.00                   | 571.80      |
| 45     | सोनभद्र      | 300.00                   | 608.65      |
| 46     | संतरबिदासनगर | 0.00                     | 185.05      |
| 47     | लखनऊ         | 0.00                     | 262.30      |
| 48     | सीतापुर      | 0.00                     | 1007.65     |
| 49     | उन्नाव       | 0.00                     | 668.62      |
| 50     | हरदोई        | 0.00                     | 789.55      |
| 51     | खीरी         | 100.00                   | 911.52      |
| 52     | रायबरेली     | 0.00                     | 511.70      |
| 53     | गोरखपुर      | 150.00                   | 330.55      |
| 54     | देवरिया      | 0.00                     | 153.35      |
| 55     | कुशीनगर      | 200.00                   | 950.40      |
| 56     | महराजगंज     | 100.00                   | 188.10      |
| 57     | बस्ती        | 0.00                     | 101.97      |
| 58     | सिद्धार्थनगर | 100.00                   | 182.51      |
| 59     | संतकबीरनगर   | 0.00                     | 223.11      |
| 60     | आजमगढ़       | 0.00                     | 509.26      |
| 61     | मऊ           | 0.00                     | 266.28      |
| 62     | बलिया        | 150.00                   | 463.71      |
| 63     | फैजाबाद      | 0.00                     | 137.81      |
| 64     | बाराबंकी     | 0.00                     | 809.08      |
| 65     | शुल्तानपुर   | 0.00                     | 182.81      |
| 66     | अम्बेडकरनगर  | 0.00                     | 230.81      |
| 67     | गोण्डा       | 150.00                   | 462.81      |
| 68     | बहराइच       | 200.00                   | 362.73      |
| 69     | बलरामपुर     | 100.00                   | 169.76      |
| 70     | श्रावस्ती    | 200.00                   | 373.26      |
|        | योग          | 5000.00                  | 20000.00    |

(रूपये पचास करोड़ मात्र)

(अवधेश कुमार)


अपर आयुक्त (लेखा)

ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

जी को 28/1/08

12/3/08

संख्या- 161/26-ब0प्र0-2008-500(15)/2007



प्रेषक,

राम गणेश  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1555/PA/CRD/08

11-3-08

वज्र प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: 11 मार्च, 2008

विषय:- अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) वर्ष 2007-08 में स्वीकृत धनराशि में से मात्राकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में।

शुभर आयुर्वह (लखनऊ)  
शुभर आयुर्वह  
(कार्यक्रम)

पहलदिय, उपर्युक्त विषयक अपन पत्र संख्या-235/महा0आ0यो0/2008 दिनांक 01 फरवरी, 2008 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-504/26-ब0प्र0-07-13ब/06, दिनांक 20.12.07 द्वारा विन्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश के प्रस्तर 4 में मात्राकृत धनराशि रू0 50.00 करोड़ के व्यय के सम्बन्ध में दिशा निर्देश चाहे गये हे।

11.3.2008

2- प्रकरण पर तन्मयक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि उक्त धनराशि रू0 50.00 करोड़ बाढ़ प्रभावित जनपद बहगइत, गोरखपुर, बलिया, लखीमपुरखीरी, श्रावस्ती, यलरामपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंड, तथा सूखा प्रभावित जनपद-ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, पडोया, बांदा, शिवरकूट एवं नवलपराधीन जनपद-मिर्जापुर, सोनभद्र, घन्दौली की सलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।

ग्राम्य विकास उ०प्र०

3- धनराशि का व्यय महामाया आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का वहन शासनादेश संख्या-504/26-ब0प्र0-07-13ब/06, दिनांक 20.12.2007 द्वारा निर्गत धनराशि से किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ हे कि कृपया स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि धनराशि का आहरण करते हुए योजना के निर्धारित अतिरिक्त तथ्यों को पूरा किया जा सके।  
सलग्नक: जनपदवार फॉट

A.C. (नैदान्य)  
कृ. इन्द्रिका  
11/3  
शुभर आयुर्वह (लखनऊ)  
संख्या-

भवदीय,  
(राम गणेश)  
संयुक्त सचिव।

(11/26-ब0प्र0-2008-तदादिनांक)

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -  
फरिदौद्दालाकार, 7070 इलाहाबाद।
- 2- सम्बन्धित जलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
- 3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 4- सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग 3/नियोजन-4  
कम्प्यूटर, गार्डफाइल/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

श्री. श्री. ल. प्रसाद  
12/3/08

आज्ञा सं.

(आर0डी0 कल्याण)  
अनु सचिव।



शासनादेश सं०- 161 /26-व०प्र०-08-500(15)/07, दिनांक 11-03-2008 का संलग्नक। अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) में वर्ष 2007-08 में धनराशि की स्वीकृति :-

| क्र० | जनपद का नाम   | स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रुपये में) |
|------|---------------|--|
| 1    | 2             | 3  |
| 1    | बहराइच        | 200.00                                   |
| 2    | गोरखपुर       | 150.00                                   |
| 3    | बलिया         | 150.00                                   |
| 4    | लखीमपुर-खीरी  | 100.00                                   |
| 5    | श्रावस्ती     | 200.00                                   |
| 6    | बलरामपुर      | 100.00                                   |
| 7    | महराजगंज      | 100.00                                   |
| 8    | सिद्धार्थ नगर | 100.00                                   |
| 9    | कुशीनगर       | 200.00                                   |
| 10   | गोंडा         | 150.00                                   |
| 11   | ललितपुर       | 350.00                                   |
| 12   | झांसी         | 300.00                                   |
| 13   | जालौन         | 300.00                                   |
| 14   | हमीरपुर       | 300.00                                   |
| 15   | महोबा         | 350.00                                   |
| 16   | बाँदा         | 500.00                                   |
| 17   | चित्रकूट      | 750.00                                   |
| 18   | मिर्जापुर     | 200.00                                   |
| 19   | सोनभद्र       | 300.00                                   |
| 20   | चन्दौली       | 200.00                                   |
|      | योग           | 5000.00                                  |

(२० पचास करोड़ मात्र)

(आर० डी० कल्याण)  
अनु सचिव।